संख्या-**15/2025/15-**मु0मं0**/18-02-2025/**ई-1934721

प्रेषक

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 9 जून, 2025

विषयः- **जेम(GeM) क्रय नियमों एवं प्रक्रियाओं हेतु कार्यशाला/प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन के संबंध में।**

महोदय,

प्रदेश में जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से क्रय को सुनिश्चित किए जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या 57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016, दिनांक 26.11.2024 द्वारा राज्य के समस्त क्रेता विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद अनिवार्य रूप से जेम(GeM) पोर्टल के माध्यम से ही संपादित करें, किन्तु, यह संज्ञान में आया है कि कुछ क्रेता विभागों द्वारा उक्त शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है एवं शासनादेश में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये जेम (GeM) पोर्टल के इतर सामग्री/सेवाओं का क्रय किया जा रहा है।

2- अवगत कराना है कि इस संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा अपेक्षा की गई है कि जेम पोर्टल पर वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय से संबंधित विभागीय अधिकारियों की समय-समय पर कार्यशाला आयोजित करायी जाये ताकि जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को क्रय किये जाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुजाइश न हो।

3- अंतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर/निदेशालय स्तर/मण्डल स्तर अथवा जनपद स्तर पर संबंधित क्रेता विभागों/कार्यालयों की आवश्यकताओं के अनुसार जेम (GeM) प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर की सहायता से कराने का कष्ट करें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकता एवं सुविधा अनुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों रूपों में आयोजित किया जा सकता है। **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0**, संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले क्रेता विभागों/कार्यालयों एवं जेम (GeM) टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जेम (GeM) प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का सफल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आयोजन सुनिश्चित करायेंगे। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि क्रेता विभागों द्वारा प्रशिक्षण हेतु जो भी तिथि निर्धारित की जाय, उसे जेम टीम की ईमेल-officeofdceogemup@gmail पर प्रेषित किया जाय तथा इस संबंध में मो0न0-9453866200 व 9305029995 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, ,लखनऊ ।
2. प्रभारी, राज्य जेम सेल, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, ,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ भी प्रेषित कि कृपया आपस में समन्वय स्थापित कर क्रेता विभागों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण का कार्य सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

प्रांजल यादव
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।